

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या :- 38/2020-21

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
12.4.22	आवेदक विकास तिर्की, पिता – स्व० सुखल तिर्की, जाति उराँव, ग्राम– बसिया पहार टोली, थाना – बसिया, जिला– गुमला ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>बसिया</td><td>50</td><td>05</td><td>362</td><td>2.04 एकड़ में से 0.10 एकड़</td><td>टांड</td></tr></table> कुल 0.10 ए० (दस डिसमील) प्लॉट सं० 362 का चौहदी :- उत्तर में – एतवा उराँव का जमीन दक्षिण में – रास्ता, पूरब में – प्लॉट सं० 364, पश्चिम में – निज बिक्रेता का टांड। जमीन विक्रेता का विवरणी विकास तिर्की, पिता – स्व० सुखल तिर्की, जाति उराँव, ग्राम– बसिया पहार टोली थाना – बसिया, जिला– गुमला। जमीन क्रेता का विवरणी अरबिंद तिर्की, पिता फ्रांसिस तिर्की, जाति उराँव, ग्राम बसिया, थाना बसिया, जिला गुमला। आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता अरबिंद तिर्की, पिता फ्रांसिस तिर्की, जाति उराँव, ग्राम बसिया, थाना बसिया, जिला गुमला को आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु 3,00,000(तीन लाख) रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	बसिया	50	05	362	2.04 एकड़ में से 0.10 एकड़	टांड	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
बसिया	50	05	362	2.04 एकड़ में से 0.10 एकड़	टांड									



अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 129(ii) दिनांक 02/04/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के पश्चात आवेदक के पास प्रयाप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति उराँव के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक विकास तिर्की, पिता - स्व० सुखल तिर्की, जाति उराँव, ग्राम- बसिया पहार टोली थाना - बसिया, जिला- गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 3,00,000(तीन लाख) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।




भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)।


भूमि सुधार उप - समाहर्ता
बसिया (गुमला)।